

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
18.07.2025

मिसल नम्बर
48/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा
30.05.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण
टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी जैन मन्दिर के पास भरनी तह व
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रकाश किराण स्टोर मेन मार्केट दूनी जिला टोंक मोबाईल नं0
8209496399 ।

2-मैसर्स प्रकाश किराण स्टोर मेन मार्केट दूनी जिला टोंक। पिनकोड-304802

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 18/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 10.03.2025 को समय 02:45 पी.एम. पर मैसर्स प्रकाश किराण स्टोर मेन मार्केट दूनी
जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री खुशहाल
गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स प्रकाश किराण स्टोर मेन मार्केट दूनी
जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड़, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए
उपस्थित मिला, श्री खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा को अपना परिचय दिया एवं
परिचय लिया तथा पूछने पर श्री खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा ने स्वयं को
प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर
खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी नमकीन व मसालो के साथ-साथ
दुकान की रैक में लगभग 26 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक 500-500 ग्राम पैक धनिजा
पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के
तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री
खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु
नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैंक में लगभग 26 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक 500-500 ग्राम पैक में से धनिया पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) जिनके बैच नम्बर 116 एवं पैकिंग की दिनांक 02.12.2024 थी, 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में अलग-अलग रखकर डिब्बों ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4287 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4287 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता खुशहाल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी जैन मन्दिर के पास मरनी तह व जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रकाश किराण स्टोर मेन मार्केट दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतोर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/523 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1110/एक्ट/2025/1305 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया




प्रतिरेक्त जिला माजस्ट्रेट
टोंक

गया धनिया पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकारकी बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर (गोयल मधुरम ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 7500/- (अक्षरे सात हजार पांच सौ रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन श्रीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निर्णय अधिकारी
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0